न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) राज.

पीठसीन अधिकारी :— श्री ब्रह्मलाल जाट, आर.ए.एस.

वादी :—
संजूदेवी पत्नी पुखराज जांगिड़
निवासी मिठड़ी तह. नावां

बनाम

प्रतिवादीगण :—
1. कैशव गौड़ पुत्र नन्दकिशोर गौड़
2. गीतादेवी पत्नी सुरेश कुमार गिवारियां
3. एम.एस.गोपाल मिनरज इंजिनियरिंग मिनिरल कम्पनी, मीठड़ी
4. तहसीलदार नावां

दावा बाबत :— बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :— श्री राजकुमारसिंह वकील वादीनी
श्री मोहनसिंह वकील प्रतिवादी 1
श्री सुरेन्द्र सेवर वकील प्रतिवादी 2

मुकदमां नम्बर :— 59/2019, 181/2018

निर्णय दिनांक :— 16.07.2019

निर्णय

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम मीठड़ी के खसरा नम्बर 486 रकबा 0.64 हैक्टयर भूमि में 25/128 हिस्सा वादीनी व 25/128 हिस्से पर प्रतिवादी 1 एवं 7/32 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी 2 व 25/64 हिस्से पर प्रतिवादी 3 काबिज काश्तकार हैं। जिसमें वादीनी अपने 25/128 हिस्से का बंटवारा करवाकर अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है। इसी प्रकार प्रतिवादी 2 ने एक दावा 181/2018 पूर्व से न्यायालय में पेश कर रखा हैं जिसमें प्रतिवादी 2 ने अपने 7/32 हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवार कर अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है। प्रतिवादी 1 ने वाद संख्या 59/2019 में काउन्टर क्लेम पेश कर अपने 25/128 हिस्से की भूमि की काउन्टर क्लेम में दर्शित नजरी नक्शें के मुताबिक मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर अलग होल्डिं कायम करने की इस्तदुआ की हैं। दोनों वादों में विवादित भूमि एक ही हैं तथा पक्षकारा भी एक ही हैं, पूर्व वाद 181/2018 में खातेदार संजूदेवी व कैशव गौड़ पक्षकार नहीं होकर अन्य पक्षकार हैं पूर्व वाद में वर्णित प्रतिवादी 1 से 8 द्वारा भूमि का बैचान वाद संख्या 59/2019 में वर्णित वादी व प्रतिवादी 1 को कर दिया हैं जिनकी खातेदारी दर्ज हो चुका हैं वर्तमान जमाबन्दी सें पूर्व वाद 181/2018 के प्रतिवादी 1 से 8 का नाम दर्ज नहीं हैं उनके स्थान पर संजूदेवी व कैशव गौड़ का नाम अंकित हो गया हैं, पूर्व 181/2019 14.05.2019 को प्राथमिक रूप से डिक्री हो चुका हैं जिसमें बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार नावां के पत्रांक: भू.अ.

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

/3194 दिनांक 05.07.2019 द्वारा प्राप्त हो चुका हैं। जिससे दोनों वादों का निस्तारण एक ही वाद संख्या 59/2019 में किया जाना उचित हैं।

उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं ने साक्ष्य पेश नहीं कर वाद संख्या 181/2019 में प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव व वाद संख्या 59/2019 में प्रतिवादी 1 के काउन्टर क्लेम में प्रस्तुत नजरी नक्शे माफिक वादीनी व प्रतिवादी 1 व 2 का बंटवारा घोषित कर डिक्री किऐ जाने का निवेदन किया हैं। जिस पर वकुलाय की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में ग्राम मीठड़ी के खसरा नम्बर 486 रकबा 0.64 हैक्टयर भूमि में वादीनी का 25/128 हिस्सा, प्रतिवादी 1 का 25/128 हिस्सा व प्रतिवादी 2 का 7/32 हिस्सा व प्रतिवादी 3 का 25/64 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हैं। जिसमें वादीनी व प्रतिवादी 1, 2 ने अपने अपने हक हिस्से की अलग अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की हैं। वाद संख्या 59/2019 में प्रस्तुत नजरी नक्शें को वादीनी व प्रतिवादी 1 से 2 ने सही होना स्वीकार किया हैं साथ ही वाद संख्या181/2018 में तहसीलदार नावां से प्राप्त प्रतिवादी 2 के बंटवारे प्रस्ताव को सही होना स्वीकार किया हैं जिसके अनुसार उक्त विवादित भूमि के पश्चिमी में 7/32 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 2 के हक हिस्से में उसके दक्षिण में 25/64 प्रतिवादी 3 के हक हिस्से में उसके दक्षिण में 25/128 हिस्सा प्रतिवादी 1 के व सबसे दक्षिण में 25/128 हिस्सा वादीनी के कब्जे काश्त व हक हिस्से में होना साबित होता है। जिसको वादीनी व प्रतिवादी 1 , 2 ने सही होना स्वीकार किया है प्रतिवादी 3 ने सम्मन तामील होने के बावजूद कोई ऐतराज नहीं किया है, वादी व प्रतिवादीगण उक्त भूमि के रिकार्ड खातेदार काश्तकार है, जिनको अपने अपने हक हिस्से अनुसार भूमि का बंटवारा कराने का पूर्व अधिकार है, वाद संख्या 181/2018 में तहसीलदार के बंटवारा प्रस्ताव व वाद संख्या 59/2019 में प्रस्तुत प्रतिवादी 1 के काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया हैं। जिसके मुताबिक दोनों वाद स्वीकार किऐ जाने योग्य है।

अतः वाद संख्या 181/2018 व 59/2019 व प्रतिवादी 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम मीठड़ी के खसरा नम्बर 486 रकाब 0.64 हैक्टयर भूमि में सबसे पश्चिमी में 7/32 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी गीतादेवी की खातेदारी में व इसके पूर्वी तरफ 25/64 हिस्सा छोड़ कर उसके पूर्वी तरफ 25/128 हिस्से का प्रतिवादी 1 की खातेदारी में व इसके पूर्वी तरफ 25/128 हिस्से का वादीनी को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता हैं तदनुसार वादीनी व प्रतिवादी 1, 2 की खातेदारी में दर्ज कर अलग अलग होल्डिंग कायम की जाकर नक्श ट्रेस में तरमीम किया जावे। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, नावां
नावां (नागौर)